



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261971  
CG-DL-E-26032025-261971

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1418]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

No. 1418]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

**का.आ. 1436(अ).—** भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इससे पूर्व जारी अधिसूचना संख्या का.आ 333 (अ) दिनांक 24 जनवरी 2024 के उस भाग को प्रतिस्थापित करते हुए, जो डॉ. के. एस. राणा को पुनर्वास परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करने से संबंधित है, भारत सरकार, निम्नलिखित व्यक्ति को पुनर्वास परिषद की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करती है:

**धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत पदमुक्त:**

(27) डॉ. के. एस. राणा

कुलपति, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस,

13 नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर-4,

दक्षिण दिल्ली-110024

[फा. सं. S-2903/4/2025-NI]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना अधिसूचना संख्या S.O. 1102(E), दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 के माध्यम से जारी की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या S.O. 333(E), दिनांक 24.01.2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****(Department of Empowerment of Persons With Disabilities)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2025

**S.O. 1436(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), and in supersession of the earlier notification number S.O. 333(E) dated 24<sup>th</sup> January, 2024, to the extent that it relates to the appointment of Dr. K.S. Rana as a member of the Rehabilitation Council of India, the Central Government hereby removes the following person from the membership of the Rehabilitation Council of India with immediate effect:

**Removed under clause (i) of sub-section (3) of section 3:****(27) Dr. K.S. Rana**

Vice Chancellor, University of Technology & Medical Science,  
13 National Park Road, Lajpat Nagar 4,  
South Delhi-110024

[F. No. S-2903/4/2025-NI]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was issued *vide* notification number S.O. 1102(E), dated 21<sup>st</sup> October, 2002 and last amended *vide* notification number S.O. 333(E) dated 24.01.2024.